

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

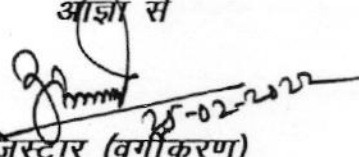
कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 774 / 2022

दिनांक : 28.02.2022

श्रीमती तोषिता मालानी (RJ0629), तत्कालीन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक हाल अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निवाई (टोंक) को दिनांक 04.02.2022 से 09.02.2022 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती मालानी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के पद पर ही की गई।

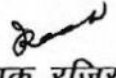
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/09/2010/1505

दिनांक 28.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 1665 दिनांक 14.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती तोषिता मालानी (RJ0629), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निवाई (टोंक)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।


सहायक रजिस्ट्रार